जीन जैक्स रूसो ने समझौता सिद्धान्त का प्रतिपादन 1762 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'The Social Contract' में किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा "मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह सर्वत्र बन्धनों में जकड़ा हुआ है।" उपरोक्त उक्ति द्वारा रूसो इस तथ्य का प्रतिपादन करना चाहता है कि "मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है और सामाजिक बुराईयाँ ही मानवीय अच्छाई में बाधक बनती है।" रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव का वर्णन करते हुए उन्हें 'आदर्श बर्बर' कहा अर्थात व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट था तथा परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। यह अवस्था स्वतंत्रता, समानता और पवित्रता कपट रहित जीवन की अवस्था थी, लेकिन इसमें विवेक का अभाव था। कृषि के आविष्कार ने भूमि पर स्थायी अधिकार, सम्पत्ति और तेरे मेरे की भावना को बढ़ावा दिया। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अपना अधिकार जताने लगे और इससे शांतिपूर्ण जीवन नष्ट होने लगा। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था का आदर्श रूप नष्ट हो गया और युद्ध, संघर्ष एवं विनाश का वातावरण उपस्थित हो गया।

इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने सम्पूर्ण अधिकार का समर्पण किया गया, लेकिन अधिकारों का यह सम्पूर्ण समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए किया गया। समझौते के फलस्वरूप सम्पूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न

होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अन्तर्गत रहते हुए कार्यरत रहते हैं।

इस प्रकार रूसो के अनुसार समझौते द्वारा ऐसे लोकतंत्रीय समाज की स्थापना हुई जिसके अन्तर्गत सम्प्रभुता सम्पूर्ण समाज में निहित होती है और यदि सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध शासन करती है तो जनता को उसे अधिकार है कि उसे हटा दे।

समझौता सिद्धान्त 17वीं और 18वीं सदी में काफी लोकप्रिय रहा फिर भी अनेक राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धान्त की कड़ी आलोचना की है। अंग्रेज दार्शनिक ह्यूम ने घोषित किया कि "शासक और शासितों के आधार पर समझौता असंगत है तथा इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है।" सर हेनरी मेन ने इस सिद्धान्त को अनैतिहासिक मानकर, ग्रीन ने कपोल कल्पना और ब्लुन्शली ने सरासर झूठा बताया है।

ऐतिहासिक दृष्टि से समझौता सिद्धान्त एक गल्प मात्र है क्योंकि इतिहास में इस बात का कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता कि आदिम मनुष्यों ने समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की। यह सिद्धान्त प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक अवस्था जैसे दो कालों में इतिहास को बाँट देता है। यह काल विभाजन नितान्त असत्य है।

इस सिद्धान्त के अन्तर्गत राज्य को एक ऐसे संगठन के रूप में चित्रित किया गया है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो लेकिन राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होती है।

इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्यों ने किया है। लेकिन वास्तव में राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं बल्कि प्राकृतिक संस्था है और क्रमिक विकास का परिणाम है।

ग्रीन ने इस सिद्धान्त की आलोचना करते हुए बताया है कि यह प्राकृतिक अवस्था में किया गया समझौता जैसा नहीं

क्योंकि समझौते को वैध होने के लिए यह जरूरी है कि उसके पीछे राज्य की स्वीकृति का बल हो। इस सिद्धान्त के अनुसार किया गया समझौता वर्तमान समय में मान्य नही हो सकता क्योंकि कोई भी समझौता जिन लोगो के मध्य होता है, उन्ही पर लागू होता है। अज्ञात समय मे अज्ञात लोगो द्वारा किया गया समझौता वर्तमान समय के लोगो पर लागू हो, यह कानूनी दृष्टि से अमान्य है।

उपरोक्त आलोचनाओ के बावजूद समझौता सिद्धान्त राजनीतिक विचारो के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम, इस सिद्धान्त ने राज्य की उत्पति के दैवीय सिद्धान्त का खण्डन किया और राज्य के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण दृष्टि प्रदान की। दूसरे, इस सिद्धान्त ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि प्रजा से ही राजा को शक्ति प्राप्त होती है तथा उसे मनमानी करने का अधिकार नहीं है। तीसरे, हॉब्स द्वारा प्रतिपादित विचारो के आधार पर ही ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता का प्रतिपादन किया।